विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 75

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	4951.38	-209.29	4742.09	6201.16	-155.13	6046.03	5425.38	-173.46	5251.92	6779.84	-135.01	6644.83
	पूंजी	***1552.76***	...	*1552.76*	*4428.84*	...	*4428.84*	*3299.84*	...	*3299.84*	*2862.16*	...	*2862.16*
	जोड़	**6504.14**	**-209.29**	**6294.85**	**10630.00**	**-155.13**	**10474.87**	**8725.22**	**-173.46**	**8551.76**	**9642.00**	**-135.01**	**9506.99**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	1.00	20.96	21.96	1.00	21.79	22.79	1.00	21.79	22.79	1.00	24.10	25.10
2. गारंटी शुल्क की माफी													
2.01 नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2075	...	75.74	75.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.02 घटाइए निवल प्राप्तियां	0075	...	-75.74	-75.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत													
सामान्य													
3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	5.71	71.29	77.00	12.16	65.64	77.80	5.59	69.01	74.60	13.18	77.03	90.21
	4801	1.30	...	1.30	2.84	...	2.84	2.84	...	2.84	3.05	...	3.05
	जोड़	*7.01*	*71.29*	*78.30*	*15.00*	*65.64*	*80.64*	*8.43*	*69.01*	*77.44*	*16.23*	*77.03*	*93.26*
4. अनुसंधान और विकास													
4.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू	2801	41.50	...	41.50	78.18	...	78.18	61.52	...	61.52	163.40	...	163.40
5. प्रशिक्षण													
5.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)	2801	20.00	1.90	21.90	20.00	6.40	26.40	17.00	6.40	23.40	16.89	6.40	23.29
6. मणिपुर आर मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	0.82	...	0.82	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25	2.38	...	2.38
7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	2801	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	...	...	...	...	...
7.01 सीईआरसी निधि													
7.01.01 सीईआरसी निधि	2801	...	...	...	...	...	...	...	31.80	31.80	...	31.48	31.48
7.01.02 सीईआरसी निधि से पूरी की गई राशि	2801	...	...	...	...	...	...	...	-31.80	-31.80	...	-31.48	-31.48
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग		...	*4.00*	*4.00*	...	*4.00*	*4.00*	...	...	...	...	...	...

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ)													
8.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2801	3158.00	...	3158.00	5052.00	...	5052.00	2052.00	...	2052.00	5052.00	...	5052.00
8.02 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता हेतु-एनआईएफ से पूरी की गई राशि - आरजीजीवीवाई	2801	-3100.00	...	-3100.00	-5000.00	...	-5000.00	-2000.00	...	-2000.00	-5000.00	...	-5000.00
8.03 एपीडीआरपी के लिए एनआईएफ से पूरी की गई राशि	2801	-58.00	...	-58.00	-52.00	...	-52.00	-52.00	...	-52.00	-52.00	...	-52.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2801	5000.00	...	5000.00	4852.00	...	4852.00	4429.58	...	4429.58	5326.70	...	5326.70
10. एपीडीआरपी परियोजना के लिए परामर्शी प्रभार	2801	10.52	...	10.52	19.48	...	19.48	19.44	...	19.44	...	...	...
11. मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्शी सेवा के लिए निधियां	2801	0.07	...	0.07	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
12. विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण	2801	...	5.29	5.29	...	6.95	6.95	...	7.95	7.95	...	8.50	8.50
13. संध राज्य क्षेत्रों तथा गोवा हेतु संयुक्त जेईआरसी की स्थापना	2801	...	3.00	3.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
14. विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक पुरस्कार योजना	2801	0.54	...	0.54	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.82	...	0.82
15. ऊर्जा संरक्षण	2801	18.00	...	18.00	143.94	...	143.94	127.24	...	127.24	130.80	...	130.80
16. ऊर्जा क्षमता ब्यूरो	2801	57.84	...	57.84	66.92	...	66.92	61.84	...	61.84	123.80	...	123.80
17. एपीडीआरपी	2801	1.26	...	1.26	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	75.00	...	75.00
18. एफओआर को क्षमता निर्माण हेतु सहायता	2801	1.95	...	1.95	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
19. पीएचआरडी के तहत टीएचडीसी को विश्व बैंक अनुदान	2801	0.01	...	0.01	...	...	...	0.41	...	0.41	...	...	...
20. एपीडीआरपी के लिए पीएफसी को ऋण	6801	1331.46	...	1331.46	3230.00	...	3230.00	2213.90	...	2213.90	1755.60	...	1755.60
21. राष्ट्रीय बिजली निधि को ब्याज सब्सिडी	2801	...	...	...	227.64	...	227.64	...	...	...	249.57	...	249.57
22. एनटीपीसी (एजीएनएसपी) को ब्याज सब्सिडी	2801	...	...	...	26.84	...	26.84	26.84	...	26.84	...	...	...
23. एनटीपीसी के लिए कोयला--धारित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4801	27.00	...	27.00	...	...	...	710.65	...	710.65	489.93	...	489.93
23.01 घटाइ वसूलियां	4801	-27.00	...	-27.00	...	...	...	-710.65	...	-710.65	-489.93	...	-489.93
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामान्य		**6490.98**	**85.48**	**6576.46**	**8785.00**	**86.99**	**8871.99**	**7070.70**	**87.36**	**7158.06**	**7864.19**	**95.93**	**7960.12**
ताप विद्युत उत्पादन													
24. बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन													
24.01 राजस्व व्यय	2801	...	32.10	32.10	...	24.80	24.80	...	5.54	5.54	...	17.65	17.65
24.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	0801	...	-342.27	-342.27	...	-288.71	-288.71	...	-288.15	-288.15	...	-272.69	-272.69
	निवल	...	*-310.17*	*-310.17*	...	*-263.91*	*-263.91*	...	*-282.61*	*-282.61*	...	*-255.04*	*-255.04*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
पारेषण और वितरण													
25. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान													
25.01 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2552	...	...	...	648.00	...	648.00	570.42	...	570.42	673.30	...	673.30
25.02 एपीडीआर के तहत पीएफसी को ऋण	6552	...	...	...	370.00	...	370.00	257.10	...	257.10	203.40	...	203.40
25.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	...	...	...	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	87.50	...	87.50
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*1063.00*	*...*	*1063.00*	*872.52*	*...*	*872.52*	*964.20*	*...*	*964.20*
जोड़-विद्युत		**6490.98**	**-224.69**	**6266.29**	**9848.00**	**-176.92**	**9671.08**	**7943.22**	**-195.25**	**7747.97**	**8828.39**	**-159.11**	**8669.28**
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश													
26.01 नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. में निवेश	4801	35.00	...	35.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26.02 विद्युत परियोजनाओं हेतू ऋण	6801	185.00	...	185.00	781.00	...	781.00	781.00	...	781.00	812.61	...	812.61
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश		*220.00*	*...*	*220.00*	*781.00*	*...*	*781.00*	*781.00*	*...*	*781.00*	*812.61*	*...*	*812.61*
विद्युत													
सामान्य													
27. वास्तविक वसूलियां	2801	-207.84	-5.56	-213.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***6504.14***	***-209.29***	***6294.85***	***10630.00***	***-155.13***	***10474.87***	***8725.22***	***-173.46***	***8551.76***	***9642.00***	***-135.01***	***9506.99***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
26.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	12801	...	10467.13	10467.13	...	22350.00	22350.00	...	15820.00	15820.00	...	26400.00	26400.00
26.02 राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लि.	12801	185.00	3523.25	3708.25	781.00	4108.34	4889.34	781.00	3307.00	4088.00	812.61	4277.39	5090.00
26.03 दामोदर घाटी निगम	12801	...	7289.32	7289.32	...	8539.78	8539.78	...	4311.49	4311.49	...	5890.59	5890.59
26.04 पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक)	12801	35.00	258.96	293.96	45.00	841.30	886.30	45.00	443.31	488.31	87.50	949.77	1037.27
26.05 सतलुज जल विद्युत निगम लि.	12801	...	407.16	407.16	...	525.17	525.17	...	545.45	545.45	...	1133.13	1133.13
26.06 टिहरी जल विकास निगम लि.	12801	...	610.51	610.51	...	856.83	856.83	...	615.56	615.56	...	389.85	389.85
26.07 भारतीय पावर ग्रिड निगम लि.	12801	...	10617.45	10617.45	...	12900.00	12900.00	...	11900.00	11900.00	...	17700.00	17700.00
जोड़		**220.00**	**33173.78**	**33393.78**	**826.00**	**50121.42**	**50947.42**	**826.00**	**36942.81**	**37768.81**	**900.11**	**56740.73**	**57640.84**

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. विद्युत	12801	6469.14	33173.78	39642.92	9567.00	50121.42	59688.42	7852.70	36942.81	44795.51	8677.80	56740.73	65418.53
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	35.00	...	35.00	1063.00	...	1063.00	872.52	...	872.52	964.20	...	964.20
जोड़		**6504.14**	**33173.78**	**39677.92**	**10630.00**	**50121.42**	**60751.42**	**8725.22**	**36942.81**	**45668.03**	**9642.00**	**56740.73**	**66382.73**

1. **सचिवालय:** विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रावधान है।

3. **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वय करता है। यह सर्वेक्षण और अध्ययनों, उत्पादन, वितरण, विद्युत संसाधनों के उपयोग और विकास से संबंधित आंकड़ों के संग्रह और रिकार्डिंग के लिए भी उत्तरदायी है।

4. **अनुसंधान एवं विकास:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और अवयवों के सत्यापन के लिए भी कार्य करता है।

5. **प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

6. **मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी):** संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के गठन के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करते हुए मणिपुर तथा मिजोरम सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अंतर्गत इन राज्यों के लिए जेईआरसी का गठन किया है। केंद्र सरकार ने प्रथम पाँच वर्षों के दौरान आयोग के आवृत्ति एवं गैर-आवृत्ति व्यय को पूरा करने के लिएकी वित्तीय सहायता की योजना स्कीम भी अनुमोदित की है।

7. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग:** ईआरसी अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन किया था। केन्द्रीय आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सांविधिक निकाय के रूप में है जो 10 जून, 2003 से प्रभावी हुआ है।

9. **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना:** ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण की यह स्कीम सभी ग्रामीण घरों को विद्युत पहुंच प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2005 में प्रारंभ की गई। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों तक विद्युत पहुंची थी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण तथा पूर्ण वृध्दि संभाव्यता का मार्ग खोलने के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना में सुधार अनिवार्य है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी), ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) के सृजन तथा विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन तथा आपूर्ति के प्रावधानों की 90% पूंजीगत सब्सिडी के साथ वित्तपोषण किया जा सकता है। आरईडीबी, वीईआई तथा डीडीजी कृषि तथा अन्य कार्य-कलापों की आवश्यकता की भी पूर्ति करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत, गैर-विद्युतीकृत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को नि:शुल्क विद्युत कनैक्शन दिया जाएगा। 11वीं योजना में स्कीम को चालू रखने की संस्वीकृति प्रथम चरण में 28,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी के साथ 03 जनवरी, 2008 को दी गई थी। शामिल लघु निवास स्थलों की संख्या बढाने के लिए, सरकार ने 300 के स्थान पर 100 की जनसंख्या तक के निवास स्थलों के विद्युतीकरण की संस्वीकृति दे दी थी।

11. **मूल्यांकन अध्ययनों तथा परामर्श का वित्तपोषण:** यह प्रावधान विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन करवाने के लिए है।

12. **विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरुध्द अपीलों की सुनवाई करता है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक मंडल अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत, एपटेल उस अधिनियम के उद्देश्य से अपीलीय अधिकरण है।

13. **संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी):** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया गया है। संयुक्त आयोग के व्यय का केंद्र सरकार तथा गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

14. **वृहत अवार्ड स्कीम:** विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रचालन, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए विद्युत उत्पादन केंद्रों, पारेषण और वितरण उपयोगिताओं तथा ग्रामीण वितरण के फ्रेंचाइजियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा शील्ड और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

15. **ऊर्जा संरक्षण:** निधि का प्रयोग ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों यथा- राष्ट्र स्तरीय जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड तथा बच्चों के लिए राष्ट्र स्तरीय चित्रकारी प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इसमें 8 राष्ट्रीय

मिशन शामिल है जो मुख्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दीर्घकालीन तथा एकीकृत नीतियों के बारे में है। इनमें से एक मिशन राष्ट्रीय आवर्धित ऊर्जा कार्यकुशलता मिशन है। इसे विद्युत मंत्रालय तथा ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) द्वारा चलाया जा रहा है। ऊर्जा कार्यकुशलता बढाने के लिए राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा कार्यकुशलता मिशन (एनएमईईई) में चार नई पहल शुरू की गई हैं (i) ऊर्जा गहन विशाल उद्योगों तथा सुविधाओं में ऊर्जा बचत के प्रमाणन, जिसका व्यापार किया जा सके, के माध्यम से ऊर्जा कार्यकुशलता में सुधारों की लागत प्रभावकारिता को बढाने के लिए बाजार आधारित तंत्र, (ii) उत्पादों को और ज्यादा वहनीय बनाने के लिए नवोदित उपायों के माध्यम से निर्दिष्ट क्षेत्रों में ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करने को बढावा देना, (iii) ऐसे तंत्र का सृजन जो भविष्य की ऊर्जा बचत के द्वारा सभी क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने में सहायक हो, (iv) ऊर्जा कुशलता को प्रोन्नत करने के लिए वित्तीय उपकरणों का विकास।

16. **ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई):** बीईई को इसकी विभिन्न योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा। समग्र विद्युत खपत को कम करने, भूजल दोहन की दक्षता में सुधार लाने, राज्यों के सब्सिडी बोझ को तथा नगर-पालिकाओं द्वारा किए गए ऊर्जा व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेकों मांग पक्ष संबंधी उपाय (डीएसएम) प्रारंभ किए गए हैं। सरकार ने बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) अनुमोदित की है जो ऊर्जा कुशलता को तथा घरों में तापदीप्त बल्बों को बदलकर उच्च गुणवत्ता के कॉम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) लगाने को बढावा देती है। उपकरणों उपस्करों के लिए मानक तथा लेबलिंग किए जाने तथा लेबलिंग को अनिवार्य किए जाने के द्वारा अंतिम छोर की खपत को घटाने को बढावा देने के लिए मानक तथा लेबलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा की खपत घटाने के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) प्रारंभ की गई है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (ईसी अधिनियम, 2001) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बीईई के भागीदारों के रूप में एसडीए को सशक्त करने के लिए राज्य विनिर्दिष्ट एजेंसियों (एसडीए) के सदृढीक़रण की स्कीम भी अनुमोदित की है। सरकार ने विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं तथा एसएमई की ऊर्जा खपत को घटाने, ऊर्जा लेखापरीक्षकों तथा प्रबंधकों की क्षमता का निर्माण करने तथा एसईएसीएफ को योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) कार्यक्रमों के लिए स्कीमें शुरू की हैं। एसईसीएफ एक सांविधिक आवश्यकता है आरईसी अधिनियम के अंतर्गत यह एसडीए की ऊर्जा संरक्षण कार्य योजना (ईसीएपी) की सुपुर्दिगियों में से एक है।

17 & 20. **पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी):** कार्यक्रम में मुख्य ध्यान एटी एंड सी हानि में कमी लाने के संबंध में वास्तविक, प्रदर्शनीय निष्पादन पर केंद्रित है। स्कीम के अंतर्गत 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों-कस्बों तथा नगरों में परियोजनाओं को दो भागों में लिया जाएगा। कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य यूटिलिटियों को एटी एंड सी हानियों के स्तर को घटाकर 15% तक ले जाने में सहायता करना है। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना निष्पादन दो भागों में लिया जाना है। भाग-क में ऊर्जा लेखालेखा परीक्षा तथा आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केंद्रों के लिए आधारभूत आंकड़ों तथा आईटी एप्लीकेशन की स्थापना की परियोजनाएं शामिल होंगी। भाग-ख में नियमित वितरण सुदृढीक़रण परियोजनाएं शामिल होंगी। प्रारंभ में, परियोजनाओं के दोनों भागों का वित्तपोषण ऋण (भाग-क के लिए 100% तथा भाग-ख के लिए 25%, सिवाय विशेष श्रेणी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के, जहां भाग-ख के अंतर्गत 90% ऋण प्रदान किया जाएगा) के माध्यम से किया जाना है, जो परिवर्तन संबंधी शर्तों को पूरा करने पर अनुदान में बदला जाएगा। इसके अतिरिक्त, भाग-ग नामक अधिकार देने वाला एक संघटक है जिसके तहत, कार्यक्रम के कार्यकलापों को सरल बनाने का व्यय करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

18. **क्षमता निर्माण के लिए विनियामक मंच को सहायता:** सरकार ने क्षमता निर्माण के लिए विनियामक मंच और परामर्श प्राप्त करने के लिए 10.0 करोड़ रुपये की योजना सहायता से एक योजना का अनुमोदन किया था। 11वीं पंचवर्षीय अवधि के किसी विशेष वर्ष में 2.0 करोड़ रुपये के अधिकतम व्यय सहित यह सहायता प्रदान की गई है।

21. **राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम):** अपने वितरण ऋण पारेषण ढांचे में सुधार करने के लिए राज्यों को ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के सृजन के वास्ते बजट (2008-09) में की गई घोषणा के अनुसरण में, सदस्य (विद्युत), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 29.4.2008 को किया गया था। आर-एपीडीआरपी तथा आरजीजीवीवाई के द्वारा शामिल न की गई वितरण स्कीमों के लिए पीएफसी, आरईसी तथा वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए सचिव (योजना आयोग) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर इस प्रस्ताव को संशोधित किया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि वितरण योजनाओं के लिए पीएफसी, आरईसी और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण संवितरण के लिए ब्याज सब्सिडी 2011-12 और 2012-13 तक दी जाएगी।

26. **सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश:**

26.01. **एनटीपीसी लिमिटेड:** एनटीपीसी की स्थापना कोलपिट हेडों पर थर्मल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के मुख्य लक्ष्य के साथ थर्मल विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में नवम्बर, 1975 में की गई थी। तब से यह निगम जल विद्युत, विद्युत ट्रेडिंग, कोयला खनन आदि में विविधीकृत हुआ है और भारत में विशालतम उत्पादक कंपनी के रूप में तेजी से अग्रसर हुई है। आज एनटीपीसी लिमिटेड भारत सरकार की सूची क की महारत्न कंपनी, भारत में एकल विशाल विद्युत उत्पादक कंपनी है जिसमें विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन की आंतरिक क्षमताएं हैं। 31.01.2011 के अनुसार एनटीपीसी (इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों सहित) की कुल संस्थापित क्षमता 33,194 मेगावाट है (सिंगरौली-I एवं II, कोरबा-I, II एवं III। रामागुंडम-I, II एवं III। फरक्का-I एवं II विन्ध्याचल-I, II एवं III। रिहन्द-I एवं II, अंता, औरैया, कवास-I, कहलगांव-I एवं II, सीपत-II, एनसीपीपी दादरी-I एवं II, दादरी गैस, ऊंचाहार-I, II एवं III। गांधार जीबीपीपी, तालचेर एसटीपीपी-I एवं II तालचेर टीपीएस, कायमकुलम-I, फरीदाबाद जीबीपीपी, टांडा टीपीएस, सिम्हाद्रि-I, बदरपुर, एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड; राउरकेला, दुर्गापुर एवं भिलाई; रत्नागिरि गैस एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड; मुजफ्फरपुर एवं अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लि0- झज्जर)।

26.02. **एनएचपीसी लिमिटेड:** एनएचपीसी की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित, कुशल और मितव्ययी निष्पादन एवं प्रचालन को सुरक्षित करने की दृष्टि से 1975 में की गई थी। इस कारपोरेशन ने अब तक केन्द्रीय क्षेत्र में 12 परियोजनाएं (बैरासियूल, लोकतक, सलाल-I और II, टनकपुर, चमेरा-II, उड़ी, रंगीत, धौलीगंगा, चमेरा-I, तीस्ता-V, सेवा-II) तथा संयुक्त उद्यम में दो परियोजनाओं अर्थात इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर का निर्माण पूरा कर लिया है। इसने डिपोजिट कार्यटर्नकी आधार पर 3 परियोजनाओं को भी पूरा किया है। एनएचडीसी सहित एनएचपीसी की कुल संस्थापित क्षमता 31.12.2010 को 5295 मेगावाट है।

26.03. **दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी):** डीवीसी की स्थापना दामोदर घाटी में सिचाई, जल आपूर्ति जल निकास, उत्पादन, पारेषण एवं हाइड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत के प्रोत्साहन एवं प्रचालन हेतु जुलाई 1948 में की गई थी। 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार डीवीसी की कुल संस्थापित क्षमता 3299.7 मेगावाट है।

26.04. **नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको):** नीपको को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत स्टेशनों की योजना, सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं देखरेख के उद्देश्य से 2 अप्रैल, 1976 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। नीपको की कुल संस्थापित क्षमता 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 1130 मेगावाट है।

26.05. **सतलुज जल निगम लिमिटेड:** (पूर्व नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड-एनजेपीसी) को हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी बेसिन में हाइड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं की योजना, जांच, निष्पादन, प्रचालन एवं देख-रेख हेतु भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में 24 मई 1988 को शामिल किया गया था। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (1500 मेगावाट), जो कि सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, शुरू की गई है। एसजेवीएनएल को हिमाचल प्रदेश में रामपुर जल विद्युत परियोजना (412 मेगावाट), लूहरी जल विद्युत परियोजना (775 मेगावाट), धुलासिध्द (40 मेगावाट) तथा उत्तराखंड में नैटवर मोरी (59 मेगावाट), जखोल संकरी (45 मेगावाट), देवसरी (252 मेगावाट), परियोजनाओं का आबंटन किया गया है। एसजेवीएनएल ने बनाओ, अपनाओ, चलाओ, सौंपो (बूट) आधार पर नेपाल में 402 मेगावाट अरूण-॥। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु आईसीबी के माध्यम से प्राप्त भी किया है। उन्हें भूटान में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए भूटान में दो परियोजनाएं अर्थात वांग्चू (600 मेगावाट) तथा खोलोंग चू (486 मेगावाट) भी आबंटित की गई है।

26.06. **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड:** टीएचडीसी को टिहरी और डाऊनस्ट्रीम पर भगीरथी नदी तथा उसकी सहायक नदियों के जल संसाधनों के एकीकृत एवं प्रभावी उपयोग हेतु जुलाई 1988 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। टीएचडीसी को टिहरी जल परिसर (2400 मेगावाट) के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है जिसमें (क) टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना स्टेज-। (1000 मेगावाट) (ख) कोटेश्वर बांध और जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) तथा (ग) टिहरी पम्पड स्टोरेज संयंत्र (1000 मेगावाट) शामिल है। टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना चरण-। पूरा की जा चुकी है जबकि कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना, टिहरी पीएसपी और विष्णुगढ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना (444 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट है।

26.07. **पीजीसीआईएल:** पीजीसीआईएल को ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों पर विश्वसनीयता, सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था के साथ क्षेत्रों के भीतर तथा आसपास विद्युत के स्थानांतरण को सुगम बनाने हेतु क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना एवं प्रचालन के लिए 1989 में, शामिल किया गया था। एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, नीपको लिमिटेड तथा एनएलसी की पारेषण प्रणालियाँ पीजीसीआईएल को अप्रैल, 1992 से स्थानांतरित की गई थी। पीजीसीआईएल पारेषण नेटवर्क देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 43% वहन करता है। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार पीजीसीआईएल की अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 22,400 मेगावाट है।